

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 543  
जिसका उत्तर मंगलवार 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है

**भारी यांत्रिकी निगम**

**543. श्री राम टहल चौधरी:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि रांची स्थित भारी यांत्रिकी निगम के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान के भुगतान में देरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इसके समय पर भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) और (ख):** हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी), रांची ने सूचित किया है कि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए, उनकी पेंशन का संवितरण क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन द्वारा ही किया जाता है। कंपनी के दिनांक 31.03.2017 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उपदान का भुगतान कर दिया गया है। हैं।

कंपनी ने सूचित किया है कि इस समय कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान के भुगतान के मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है।

**(ग):** सीपीएसईज के कर्मचारियों को वेतन और सांविधिक देयताओं का भुगतान कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी के कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं सहित देनदारियों के भुगतान और संसाधनों को जुटाने के लिए कंपनी द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही भूमि का झारखंड सरकार को अंतरण करके भू-सम्पत्तियों से राजस्व अर्जित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

\*\*\*\*\*